अपर समाहर्त्ता, दुमका का न्यायालय

आर0एम0ए0 वाद सं0–26/2011–12

मुकुन्द महतो, पिता–स्व0 भटू महतो एवं अन्य, ग्राम–मंडलडीह, थाना–सरैयाहाट, जिला–दुमका –बनाम्– गंगाधर महतो, पिता–स्व0 गोविन्द महतो, ग्राम–मंडलडीह, थाना–सरैयाहाट, जिला–दुमका।

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3
17.2.24	**आदेश** प्रस्तुत आर0एम0ए0 वाद सं0–26/11–12 मुकुन्द महतो, पिता–स्व0 भटू महतो एवं अन्य ग्रा0–मंडलडीह, थाना–सरैयाहाट, जिला–दुमका के द्वारा गंगाधर महतो पिता–स्व0 गोविन्द महतो ग्रा0–मंडलडीह, थाना–सरैयाहाट, जिला–दुमका एवं अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के आर0 ई0 केस सं0–47/03–04 में परित आदेश दिनांक–15.12.2003 के विरूद्ध दायर किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा समर्पित लिखित वहस में वर्णित किया गया है कि मैकफर्सन सेटलमेंट के समय विषयगत भूमि अपीलार्थी के पूर्वजों के नाम से खतियान में दर्ज था। विपक्षी के पूर्वजों के द्वारा उक्त भूमि को गैंजर सेटलमेंट में अपने नाम पर चढ़ा लिया। मौजा झिलवा बेलबारी दाग सं0–488, रकवा–5.17 एकड़ जमाबन्दी नं0–25, थाना–सरैयाहाट के जमाबन्दी रैयत संतलाल मंडल का नाम दर्ज है। जमाबन्दी नं0–11, 20, 21, 23, 24 एवं 26 अपीलार्थी का पैतृक भूमि है। जमाबन्दी नं0–17 अपीलार्थी के पूर्वजों के नाम पर दर्ज था, जो गैंजर सर्वे के बाद जमाबन्दी नं0–25 सहित कई जमाबन्दी सं0 में विभाजित हो गया। अपीलार्थी का यह भी कहना है कि **Rent Eviction Case No. 15/1917** में अपीलार्थी के पिता के द्वारा बेदखल करने की सिफारिश नहीं की गई थी। **Revenue Misc Case No. 11/110** वर्ष 1919–20 के आदेशानुसार 1917 से 1919 तक लगान की वसूली गलत एवं अवैध है। उक्त मामले में पूर्वज अपीलकर्त्ता प्रयाग महतो को पार्टी नहीं बनाया गया एवं प्रयाग महतो का बेदखल करने का आदेश दिया गया। निम्न न्यायालय का बेदखल करने का आदेश गलत एवं अमान्य है, क्योकि उनके द्वारा अवैध कब्जा नहीं किया गया है। अपीलकर्त्ता द्वारा अपील को स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है। विपक्षी के अधिवक्ता द्वारा समर्पित लिखित बहस में वर्णित है कि अपीलकर्त्ता के द्वारा दायर वर्तमान अपील कानून या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की नजर में चलने योग्य नहीं है। मौजा–झिलवा बेलबारी नं0–02 के खाता नं0–25 अंतिम बंदोबस्त प्लॉट नं0–488 से संबंधित है। कुल–5 एकड़ 17 डिसमील जमीन शिवदयाल महतो, दीवान महतो, विरंची मंडल आदि नाम से दर्ज है। हंसी मंडल, मुन्शी मंडल, सभी पूत्र डोमन मंडल, संतलाल मंडल पिता–बनवारी मंडल, कदरू मंडल, पिता–चमरू मंडल का नाम गैंजर सर्वे में दर्ज है, गैंजर के रैयत लगान के भुगतान एवं संबंधित भूमि पर खेती करते हैं। प्रश्नगत भूमि विपक्षी के नाम पर दर्ज है। विपक्षी के भूमि को हड़पने के लिए झिलवा बेलबारी के खाता सं0–25 से संबंधित भूखण्ड सं0–488 के हिस्से पर झोपड़ी खड़ी कर दी। जमीन के हिस्से पर अवैध अतिकमण की जानकारी होने पर अंचल अधिकारी, सरैयाहाट के कार्यालय में मामला सं0–02/2002–03 दर्ज किया गया। जिसमें अवैध अतिकमण हटाने का निर्देश दिया गया। अपीलकर्त्ता के नहीं हटने पर अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के समक्ष वाद सं0–47/2003–04 दायर किया गया। जिसमें विपक्षीयों को मौजा–झिलवा बेलबारी, दाग सं0–488 रकवा–5 एकड़ 17 डिसमील से उच्छेद किया गया। विपक्षी द्वारा अपील खारिज करने का अनुरोध किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सूना एवं अभिलेख में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। स्पष्ट है कि मामला प्रश्नगत भूमि पर हक, अधिकार एवं स्वत्व से संबंधित विवाद का है, जिसका निर्णय सक्षम न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है। अतएव उभयपक्ष सक्षम न्यायालय में जा सकते है। इस निर्णय के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त किया जाता है। अभिलेख एवं संशोधित। 17/2/24 अपर समाहर्त्ता, दुमका।	

Digitally signed by RAJIV KUMAR
Date: 2024.03.20 16:34:06 +05:30
Location: 192.168.1.126

17/2/24
अपर समाहर्त्ता,
दुमका।